डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 1990— भाद्र 9 शके 1912

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1990

क्र. 3256-अड़तीस-1-90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (राजपत्रित) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम :— इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयान शाखा) भरती नियम, 1990

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध म "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "परीक्षा" से से अभिप्रेत है प्रतियोगी परीक्षा को सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत ली जाती है;

(घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवाजाति मूलवंश या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का मूल जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधान मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसुचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का मूल जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित सेवा);

(छ) "अकालाग" से अभिप्रेत है :—

(i) अंधे वे व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हों,—

(1) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

(2) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, और

(3) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या वह उससे भी बदतर हो.

(ii) बहरे वह व्यक्ति है जिनमें श्रवण संवेदना जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए क्रियाहीन हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते, इस प्रवर्ग में सम्मिलित किये गये वे व्यक्ति होंगे जिनमें सुनने का ह्रास बेहतर कान में 80 डेसिमल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्रास हो.

(iii) विकृतांगता से विकलांग वे व्यक्ति हैं जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो जिससे हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ों की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो.

3. विस्तार तथा लागू होना :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन :—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) आपाती तथा तदर्थ आधार पर नियुक्तियों को छोड़कर वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न ... अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप ... कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका :— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से ... अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती द्वारा;

(ख) उन व्यक्यिों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल हैसियत में धारण किये हों जैसा कि अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात् नियम-14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा और

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में यथा-एक में यथा-विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भरती की किसी भी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए एपेक्षित सेवा में किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जावेगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम

में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति :—इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :—परीक्षा में भाग लेने/चयन किए जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(एक) आयु- (क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु ऐसी आयु प्राप्त न की हो, जो कि उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट की गई है;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यार्थी, जो अस्थायी पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियासत आपाती नियुक्ति के शिक्षकों,, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वियन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक वर्ष से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— पद "छटनी किए गए सरकारी सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की लगातार कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आऊट कन्सेशन के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और जिन्हें :—

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,
सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये हों, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं.

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बने योग्य नहीं रहे.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लगने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(घ) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;
(ड.) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी.
(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;
(छ) आदिम जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जाति विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी.
(ज) विक्रम पुरस्कार धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;
(झ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नानकमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक, जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन होगी, छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी मामले में उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी :—ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियासतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होगें जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा देने के पूर्व या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें. तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें छंटनी किया गया हो.

किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** :—उसके पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है :

परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित

किया जाना न्यायोचित ठहराता हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हों, किंतु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश देने/उनका चयन किये जाने के बारे में विचार किया जा सकेगा.

(तीन) फीस .—उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निर्हता .—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित किये जाने के लिए निर्हता के रूप में माना जावेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा** .—परीक्षा/चयन में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है, आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती** .—(1) सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती की जाएगी और आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए गुणानुक्रम सूची लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी.

(2) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतर से ली जाएगी, जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे. आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर प्रसारित करे.

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत रिक्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों का 3 प्रतिशत ऐसे विकलांगों के लिए रक्षित किया जायगा जिनकी निःशक्तता शैक्षणिक कार्य में प्रतिबाधक न हो.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अभ्यर्थियों की, जो विकलांग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी कि सिफारिश प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा की जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से, इन अभ्यर्थियों के लिए दो बार पुनः विज्ञापित की जाएगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां भरी रह जाने से रह जाये तो वे सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी तथा आगामी चयन के समय, यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी.

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या [अग्रनित (कैरीड फारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए] विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के 45 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(7) जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **चयन द्वारा सीधी भरती** .—(1) प्राध्यापक के पद पर सीधी भरती लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन करके की जाएगी. सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा जो शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निश्चित करे. रिक्त पदों के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में आयोग उच्च शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित कर सकेगा.

(2) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका चयन प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा किया जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उक्त उपनियम-3 के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से इन अभ्यर्थियों के लिए दो बार पुनः विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां भरी जाने से रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगामी चयन के समय, यथास्थिति,

अनुसूचित **जातियों** तथा अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां अक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या विज्ञापित **की गई** कुल रिक्तियों के 45 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

13. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यार्थियों की सूची** .—(1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से, जैसा कि आयोग अवधारित करे, अर्ह हों और विकलांग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हों, अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते [illegible] रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची आए हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना, उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करे जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची आयोग द्वारा जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी. न्तु शासन आयोग की सहमति से चयन सूची की वैधता अधिकतम एक वर्ष और बढ़ा सकेगा.

14. **आमेलन द्वारा भरती** .—(एक) सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, ध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी का आमेलन एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षणकरने के उपरान्त और सरकार को की गई उसकी अनुशंसा पर किया जाएगा. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा;

(ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(घ) दो प्राचार्य, सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(दो) स्क्रीनिंग समिति समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में सिफारिश निम्नलिखित आधारों पर करेगी:—

(अ) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हे मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारम्भ के पूर्व सरकार द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए प्राइवेट महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालय संहिता में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त करके भरती किया गया था.

(आ) मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1967 के प्रारम्भ होने के पश्चात् भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलत नहीं किया आएगा.

(इ) किसी व्यक्ति को, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा से साबित हुए अचार और/ या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो, आमेलित नहीं किया जाएगा.

(ई) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो.

(उ) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रन्थपाल या क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो जो राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए.

(ऊ) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा जिसकी नियुक्ति यथास्थिति, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है.

(तीन) (अ) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा जिस पर कि वह सरकार द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था.

(आ) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर आमेलन किए जाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापक अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर आमेलन के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा.

(चार) इस नियम के उपबंधों के अनुसार विचार करने के पश्चात् स्क्रीनिंग समिति सरकार को उपयुक्त सिफारिश करेगी. सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें अनुमोदित किए जाने के पश्चात् संबंधित व्यक्तियों के आमेलन के आदेश समिति की सिफारिशों के अनुसार जारी किए जाएंगे.

(पांच) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति को ज्येष्ठता उस तारीख से दी जाएगी जिसको कि महाविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया गया था.

(छः) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रनीत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा. तथापि अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रनीत करने हेतु मध्यप्रदेश अवकाश में विहित निर्बन्धनों तथा अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा.

(सात) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा में उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए. ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा.

(आठ) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुए है.

(नौ) सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्याप, सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी, जिनकी नियुक्ति यथास्थिति मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी किन्तु जिन्हें स्क्रीनिंग समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित कि थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली काडर (डाइंग काडर) के रूप में बने रहेंगे, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में ज्येष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतनवृद्धियां तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे.

में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः सात गुना तक सीमित रहेगा ;

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो समिति क्षेत्र का विस्तार उस सीमा तक जहां तक कि वह आवश्यक समझें, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए कर सकेगी.

18. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना :–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम-14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तर के लिए उपयुक्त समझती है. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के की संख्या 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन ज्येष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए सभी दृष्टि से गुणागुण तथा उपयुक्ता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, ऐसी चयन सूची तैयार करते समय अनुसूची चार के कालम (2) मे यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में आपवादिक रूप से गुणागुण वाला तथा उपयुक्त हो, सूची में उससे ज्येष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण :– ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्दता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन लोगों के ऊपर ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जावेगा.

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाए कि राज्य अधिनस्य सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंद्ध में अपने कारणों को अभिलेखबद्ध करेगी.

19. **आयोग से परामर्श :–** विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

20. **चयन सूची:–** (1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कालम- (2) में दर्शाये गए पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में दशाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 18 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि-मान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जावेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग यदि वह उचित समझें, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन-सूची से हटा सकेगा.

15. आपाती नियुक्तियां :— सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारियों के पदों के लिए यदि आयोग से चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध न हो तो ये पद निम्नलिखित रीति से आपाती नियुक्तियों द्वारा भरे जा सकेंगे:—

(अ) सरकार द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाएगा ;

(आ) आपाती नियुक्तियों के लिए सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं वहीं होंगी जो इन पदों के लिए अनुसूची-3 में दर्शाई गई है ;

(इ) आपाती नियुक्तियों के लिए आवेदन अनुसूची-पांच में विहित प्रारुप में प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ई) प्राप्त आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत किए जाएगें और उनकी निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार गुणानुक्रम के अनुसार सूची बनाई जाएगी.

(एक) 40 अंकों में अंक आवंटित करने का आधार स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा.

(दो) 50 अंकों में अंक आवंटित करने का आधार स्नातकोत्तर स्तर प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा.

(तीन) एम. फिल. उपाधि के लिए 5 अंक, और

(चार) पी. एच. डी. उपाधि के लिए 5 अंक.

इस प्रकार बनाई गई विषयवार गुणानुक्रम सूची में से ही उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध क्रमानुसार आपाती नियुक्ति की जाएगी. तथापि आपाती आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे सभी अभ्यर्थी इस शर्त के अधीन रहेंगे कि उनकी सेवाए लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन-सूची प्राप्त होते ही समाप्त हो जाएगी.

16. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :— (1) पात्र अभ्यर्थियों के पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-4 में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति अपनी बैठक ऐसे अन्तरालों से करेगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो.

(3) ऐसे पदों पर जिनमें कि अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पदोन्नति का प्रतिशत $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो नियम 17 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हैं.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने की प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

17. पदोन्नति/स्थानान्तर के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :—(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप मे) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जितनी अनुसूची-चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचार के क्षेत्र में आते हों :

परन्तु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवामुक्त अधिकारियों की सेवाओं की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के बाद उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266-1987-1-(3)-67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त माना गया है.

(2) चयन के लिए विचार का क्षेत्र ' गुणागुण तथा ज्येष्ठता ' के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची

21. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति:—** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के काडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जावेगी जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओ के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में न हो या चयन सूची में जिसका क्रम में अगला नाम न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि रिक्ति संभवतः तीन मास से अधिक अवधि के लिए नहीं है.

(2) साधारणतः किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त बना देती है.

22. **परिवीक्षा :—** सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

23. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भुत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जावेगा, और उस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

24. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे यह नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु मामला ऐसी रीति से निपटाया नहीं जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकुल हो.

25. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबद्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

26 **निरसन और व्यावृत्ति :—** इन नियमो के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियम के अंतगर्त आने वाले विषयों के संबंद्ध में, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंध के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	आयुक्त, उच्च शिक्षा	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 5900—200—6700.
2	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	68	प्रथम श्रेणी	रुपये 4500—150—5700—200—7300.
3	प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	347	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700—125—4950—150—5700 तथा रुपये 250/- विशेष वेतन.
4	प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	915	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700—125—4950—150—5700.
5	(अ) सहायक प्राध्यापक	7426	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200—75—2800—100—4000.
	(आ) सहायक प्राध्यापक (ज्येष्ठ वेतनमान)	. .	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000—100—3500—125—5000.
	(इ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	8	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700—125—4950—150—5700.
6	(अ) क्रीड़ा अधिकारी	324	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200—75—2800—100—4000.
	(आ) क्रीड़ा अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)	. .	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000—100—3500—125—5000.
	(इ) क्रीड़ा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)	. .	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700—125—4950—150—5700.
7	(अ) ग्रंथपाल	384	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200—75—2800—100—4000.
	(आ) ग्रंथपाल (ज्येष्ठ वेतनमान)	. .	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000—100—3500—125—5000.
	(इ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	. .	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700—125—4950—150—5700.

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता: सीधी भरती द्वारा	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता: सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उच्च शिक्षा विभाग	मध्यप्रदेश शैक्षणिक (राजपत्रित) सेवा	(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा	1	..	..	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से.	
		(दो) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	77	..	100 प्रतिशत	..	
		(तीन) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	347	..	100 प्रतिशत	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्यों के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना में 7 वर्ष के कार्य का अनुभव हो.	
		(चार) (अ) प्राध्यापक और उप-संचालक, उच्च शिक्षा	915	100 प्रतिशत	..	प्राध्यापक के शासन द्वारा स्वीकृत मूल (सबस्टेंटिव) कुल पद सीधी भरती से भरे जावेंगे. इसके अतिरिक्त 1-1-86 से [illegible] [illegible]म./एम.एस.सी. में कम से कम 55 [illegible] तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से [illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
						...व ... विभागीय पदोन्नति समिति के अ... के सदस्यों के नाम पूरी करने के पश्चात् तथा विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जावेगी.
		(ब) कालम 7 के अनुसार पदों की अनिश्चित संख्या के लिए	. .	. .	100 प्रतिशत	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जावेंगे. प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी.
		(पांच) सहायक प्राध्यापक	7426	100 प्रतिशत	. .	. .
		(छः) क्रीड़ा अधिकारी	324	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	. .
		(सात) ग्रंथपाल	384	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा. इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया जावेगा. (2) केवल मृतक काडर (डाइंग केडर) के सहायक क्रीड़ा अधिकारी तथा सहायक ग्रंथपाल के लिए; इन अधिकारियों की पदोन्नति के पश्चात् भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जावेंगे.

टीप :— अनुक्रमांक (पांच), (छः) एवं (सात) में उल्लिखित पदों के ज्येष्ठ और प्रवर श्रेणी के वेतनमानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया अनुसूची-चार में दिए गए टिप्पणी के अनुसार होगी.

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च शिक्षा विभाग	मध्यप्रदेश शैक्षणिक (राजपत्रित) सेवा	(एक) प्राध्यापक और उप-संचालक, उच्च शिक्षा	21 वर्ष	45 वर्ष	1. (क) यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर विहित शैक्षणिक अर्हताएं, तथा (ख) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव.	
		(दो) सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	2. संबंधित विषय में अथवा राज्य शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निर्दिष्ट किसी अन्य विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो.	
		(तीन) क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	3. व्यायाम शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और व्यायाम शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो.	
		(चार) ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष	4. पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो. एम.ए./[illegible] प्रतिशत [illegible]रांत लगभग उपाधि पर [illegible] पुनश्चर्या कम न हो [illegible] लिया हो या [illegible]निर्दिष्ट	

अनुसूची—चार

(नियम 15 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अपेक्षित [illegible]	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च शिक्षा विभाग	मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) (1) प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति स्नातक महाविद्यालय के उन प्राचार्यों में से प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय काडर की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जावेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो. पदेन्नति का आधार गुणागुण तथा ज्येष्ठता होगी. परंतु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य—अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा —सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा—सदस्य
	(2) प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना.	उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर पदोन्नति कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से गुणागुण तथा ज्येष्ठता के आधार पर की जावेगी. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भरती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूचियां अलग-अलग बनाई जाएगी. इन सूचियों में से प्राचार्य के पद उस अनुपात में भरे जायेंगे जो पदोन्नति समिति की बैठक वाले वर्ष के आरंभ में सीधी भरती तथा पदोन्नत प्राध्यापकों के बीच हो. पदौन्नति के लिए पात्रता जांचने के लिए **क्रमोन्नत प्राध्यापकों और अन्य प्राध्यापकों में कोई भेद नहीं माना जाएगा. पदोन्नत प्राध्यापकों की** ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			नियमित नियुक्ति के दिनांक के आधार पर बनाई जावेगी. कार्यभार ग्रहण किए गए महाविद्यालयों के आमेलित प्राध्यापकों को सीधी भरती के प्राध्यापकों के साथ सूचीबद्ध किया जावेगा और उन्हें ज्येष्ठता उनके महाविद्यालय के कार्यभार सरकार द्वारा ग्रहण कि जाने के दिनांक से दी जाएगी. सीधी भरती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर अवधारित की जावेगी.	
	(3) सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक/उप संचालक, उच्च शिक्षा	ज्येष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक को रु. 3700-5700 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, यदि उसने :— (क) ज्येष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो परंतु सहायक प्राध्यापक पद पर कम से कम 16 वर्ष, पी.एच.डी./एम. फिल धारक के लिये क्रमशः 13/15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले सहायक प्राध्यापक के संबंध में 8 वर्ष सेवा की अपेक्षा शिथिल की जाएगी. (ख) पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करली हो अथवा इसके समकक्ष प्रकाशित कार्य किया हो. (ग) विद्वता और शोध के विभिन्न क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्य किया हो, जो स्वमूल्यांकन, [illegible] की रिपोर्टों, प्रकाशनों की गुणवत्ता, शि[illegible] नवीन पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्[illegible] से प्रमाणित हो. (घ) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उ[illegible]रांत लगभग 4 सप्ताह की प्रत्येक की अवधि के [illegible] पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में भा[illegible] लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार[illegible] निर्दिष्ट	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य—अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा —सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा—सदस्य

वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			मानकों के अनुरूप समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो, और (ङ) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर अच्छी हों.	
	(4) सहायक ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	ऐसे सहायक ग्रंथपाल, जिन्होंने ग्रंथपाल के लिए निर्धारित अर्हताएं प्राप्त कर ली हों, सेवा रिकार्ड के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे.	तदैव
(छ)	(5) सहायक क्रीड़ा अधिकारी	क्रीड़ा अधिकारी	ऐसे सहायक क्रीड़ा अधिकारी जिन्होंने क्रीड़ा अधिकारी के लिये निर्धारित अर्हताएं प्राप्त कर ली हों, सेवा रिकार्ड के आधार पर क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाएगें.	तदैव

टिप्पणी :— सहायक ग्रंथपाल एवं सहायक क्रीड़ा अधिकारी के पद समाप्त होने वाले काडर (डाइंग कैडर) के है. अतः वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की उपर्युक्तानुसार पदोन्नति के पश्चात् भविष्य में ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर पदोन्नतियां नही होगी.

टिप्पणी :— (1) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्न अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा :—

(अ) **ज्येष्ठ वेतनमान हेतु** :— सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को रु. 3000—5000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जावेगा यदि उसने (एक) नियमित नियुक्ति के उपरांत 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि वह पी.एच.डी. अथवा एम. फिल, धारक हो तो क्रमशः 5 तथा 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (दो) दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं मे जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या अन्य समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों में संलग्न रहा हो, जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के समकक्ष हो, (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो.

(ब) **प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु** :— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत प्रत्येक सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल को रु. 3700-5700 के प्रवर श्रेणी के वेतनमान में रखे जाने की पात्रता होगी, यदि उसने :—(एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो. सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद पर कम से कम 16 वर्ष पी.एच.डी./एम. फिल. धारक के लिये क्रमशः 13/15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले अधिकारियों के संबंध में 8 वर्ष की शर्त को शिथिल किया जाएगा तथा (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं मे जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का है भाग लिय हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो और (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन

निरंतर अच्छी हो.

(2) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में रखे जाने की उपर्युक्तता अवधारित करने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

(अ) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	संयोजक
(ब) उप सचिव, म.प्र. शासन. उच्च शिक्षा विभाग,	सदस्य
(स) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
(द) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	सदस्य

स्क्रीनिंग समिति सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार स्क्रीनिंग का उपरोक्त कार्य करेगी.

(3) सहायक प्राध्यापक और पूर्व में भरती किए गए व्याख्याता का पद एक ही है.

अनुसूची—पांच

[नियम 14 (ख) देखिए]

आवेदन-पत्र का प्रोफार्मा

फोटो पासपोर्ट साइज (अनुप्रमाणित)

(सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल पद हेतु)

1. नाम तथा पता ....
विषय ....

2. राज्य का नाम जहां जन्म हुआ ....

3. जन्म तारीख (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....

4. (पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में) 1 जनवरी .... को आयु
वर्ष .... माह .... दिन ....

5. शैक्षणिक अर्हताएं :—

मंडल/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
अ. हायर सेकेण्डरी				
ब. स्नातक				
स. स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है

6. यदि एम. फिल/पी.एच.डी. उपाधि दी गई हैं, तो विषय का नाम कथित करें तथा प्रमाण-प्रस्तुत करें ....

7. यदि अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. का सदस्य है, तो जाति तथा जनजाति का नाम दिया जाना चाहिए. सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें. ....

8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम तथा संस्था का नाम, विभाग का नाम दर्शित करें. ....

9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो. ....

तारीख ....

स्थान ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1990

क्र. 3257-अड़तीस-1-90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3256-अड़तीस-1-90, दिनांक 31 अगस्त 1990 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, सचिव.

Bhopal, the 31st August 1990

No.3256-XXXVIII-1-90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Higher Education Department (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. **Short Title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context other requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

(d) "Scheduled Caste" means any caste, race of tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(e) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(f) "Service" means the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Gazetted, Service;

(g) " Physically handicapped" means:—

(I) " A person is blind if the suffers from one of the following conditions,—

(i) Total loss of vision;
(ii) intensity of eye sight is not more than 6/60 or 20/200 (shellan) in the better eye with the corrective lens
or
(iii) the frontal angle of vision is limited to an angle of 20° or less.

(II) A person is deaf if he lacks sensation of hearing required for daily purpose, to the extent that he cannc hear or understand even amplified sound. Such persons who suffer from loss of hearing the bette ear to the extent of more than 80 decibals (maximum loss) or who have lost the sense of hearing i both ears will be included in this category.

(III) Those persons will be deemed to be suffering from the physical infirmity who have a physical defect c deformity which does not allow the bones, muscles or joints in normal bodily functions.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Prades Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely:—

(1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the pos specified in Schedule-I

(2) persons recruited to the Service except on emergency and adhoc basis before the commencement of the: rules; and

(3) persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, scale of pay, etc.**— The classification of the Service the number of posts included in the Servi and the Scale of Pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the Servic either in a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely:—

(a) by direct recruitment by competitive examination/selection;

(b) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such posts in such service as specified in Schedule-II;

(c) by promotion of members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV.

(d) by absorption in accordance of the procedure prescribed in rule 14, after the taken over of any college by the Government; and

(2) The number of persons recruited under clause (b) of clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period or recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the Personnel Administrative Reform and Training Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment speified in rule 6.

8. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(I) **Age.**—(a) The candidate must have attained the age as specified in column (4)of Schedule III and not attained the age as specified in column (5) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the teachers appointed on emergency basis, contingency paid employees. Workcharged employees and employees working in the Project Implementation Committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more that three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant"denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant, age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short-term engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-Servicemen invalided out of service;

(7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of agein respect of candidate who are employee of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.

(e) The general upper age limit shall be 35 years in respect of widow destitute and divorced women candidates.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 years in respect of those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare Programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of awarded superior cast partner of a cupple under the Inter Caste Marriage insentive programme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of "Vikram Award" holders candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntery Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.—Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(ii) **Educational Qualification.**—He must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III:

Provided that.—

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission justifies the admission of the candidate to the examination/selection;

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for the examination/selection at the discretion of the Commission.

(iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification**.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission/selection to the examination.

10. **Commission's Decision about the Eligibility of Candidates Final**.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission.

Shall be admitted to the examination or interviewed by the Commission.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination**.—(1) Direct recruitment shall be made by competitive examination to the posts of Assistant Professor, Librarian and sports officer and the merit list shall be made for the appointment on the basis of total marks obtained in written examination and interview.

(2) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission from time to time determine. The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issued in consultation with the Commission.

(3) 15 per cent and 18 per cent of the availablevacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively. In addition to this, three per cent of the available vacancies shall be reserved for those Physically handicapped whose deformity does not become hurdle in teaching work.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are Physically handicapped, members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes recommended by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance or efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Schedule Castes or the Scheduled Tribes as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be readvertised twice exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed forty five per cent of the total vacancies advertised.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essentional condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of public service commission or any other competent authority it is found that the sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the public service commission or the competent authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates.

12. **Direct Recruitment by Selection**.—(1) Direct recruitment for the post of Professor by the commission shall be made through interview. Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the commission from time to time determine. If the number of available candidates is too much than the vacant posts, the commission may limit the number of candidates calling for interview on the basis of higher educational qualifications or experience or both.

(2) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are member of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relatives rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and selected by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(5) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies shall be reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates, if even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed 45 per cent of the total vacancies advertised.

13. **List of Candidates recommedned by the Commission.**—(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the category of disabled, Scheduled Caste and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission. Provided that the Government with the consultation of the Commission may extend the validity of the select list upto a maximum period of one more year.

14. **Recruitment by Absorption.**—(1) The absorption of Principals, Professors, Asstt. Professors Librarian and Sports Officers of non-government college taken over by the Government will be made through Screening Committee, after examining every case and on its recommendations to the Government. The Committee shall be comprising of the following members:—

(a) Chairman, Public Service Commission or a member of the Commission, nominated by the Chairman.

(b) Principal Secretary/Secretary, Higher Education.

(c) Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh.

(d) Two Principals of Government Post Graduate Colleges, nominated by the Government.

(ii) The Screening Committee shall recommend the cases referred to it for absorption to appropriate posts on the following basis:—

(A) All these persons, who were recruited as a regular appointee in the private colleges taken over by the Government according to the provisions given in the college code of the concerning universities prior to the commencement of the Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog.

(B) No such person shall be absorbed who is recruited after the commencement of the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1967 and does not fulfill the minimum requirements prescribed in the said rules.

(C) No person shall be absorbed if at any time in the past he or she was removed or dismissed from Government or any other service for proved misconduct and/or criminal offence.

(D) No person shall be absorbed in Government Service if he or she has attained the age of superannuation according to the Government rules in force at the time of absorption.

(E) No person appointed as or holding the post of a Registrar, or a Librarian or a Sports Officer, in a non-government college taken over by the State Government, shall be absorbed in Government Service, unless at the time of appointment, such person answers such minimum requirements or holds such qualifications as may be laid down by the State Government by an order in writing.

(F) No person shall be absorbed in Government Service whose appointment is not approved as a regular appointment by Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University as the case may be.

(iii) (A) No person shall be absorbed in a higher post in Government Service from the post on which he was working prior to the take over of the college by Government.

(B) for being absorbed as Principal of a Degree College, a person working as Principal of a college taken over by Government shall, in addition to the other conditions prescribed under this Rule have a minimum of 14 years teaching experience out of which 3 years teaching experience shall pertain to teaching of post graduate classes and two years teaching experience as a Professor, for absorption to the post of Principal Post graduate College, a further experience of two years of working as a Principal of a Degree College shall be necessary.

(iv) The Screening Committee, after taking into consideration the relevant provisions of this rule shall make suitable recommendations to Government. After the recommendations of the Committee are approved by Government, the absorption orders of the concerning persons will be issued by Government according to the recommendations of the Committee.

(v) A person absorbed to a particular post shall get his seniority from the date the college was taken over.

(vi) No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a non-government college on his absorption in Government service. However, if such a person pays the leave salary contribution in respect of the service rendered in a non-government college, he shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limits prescribed in the Madhya Pradesh Leave Rules.

(vii) No person absorbed into Government service under the provision of this Rule shall by virtue of the fact that he was earlier confirmed in service by the non-government college claim as of right to be confirmed in Government service. Confirmation of such persons shall be done in accordance with the Government rules in force from time to time.

(viii) The provisions of these rules shall be and shall always be deemed to have come into force with effect from the 1st January 1971.

(ix) The Principal, Professor, Asstt. Professor, Librarian and Sports Officer of the non-government college, taken over by the Government whose appointments were approved as a regular appointment by Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University, as the case may be, but are rejected by the Screening Committee for their absorption in Government Service due to any reason, will continue on the post, they held on adhoc and temporary basis in dying cadre, but will not get any benefit of seniority, promotion, annual increments and revision of pay-scale in Government Service as such.

15. Emergency Appointment.—If commission's penal of selected candidates is not available for the post of Asstt. [illegible] Sports Officers, the posts may be filled by emergency appointments in the following manner:—

(A) An advertisement shall be issued by the Government.

(B) For Emergency appointments to the post of Asstt. Professor, Librarian and Sports Officers the educational qualifications will be the same as shown in Schedule-III for these posts.

(C) Application for emergency appointment shall be submitted in the form prescribed in Schedule -V.

(D) Application received shall be registered and tabulated according to the following norms in order of merit:—

(i) Percentage of the Marks obtained at Degree level shall be the basis of allotment of marks out of 40 marks.

(ii) Percentage of marks obtained at Post Graduate level shall be the basis of allotment of marks out of 50 marks.

(iii) 5 marks for M. Phil degree and;

(iv) 5 marks for Ph. D. Degree.

A merit list prepared subjectwise in the above manner shall be used for the filling the available vacancies in the serial order for the emergency appointments. However, all such candidates appointed on the emergency basis shall be subject to the condition, that their services will be terminated as soon as a selection list prepared by Public Service Commission is received.

16. **Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15% and 18% of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion is 33.5 percent ormore, as specied in Schedule-II, shall be reserved for officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 17.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department from time to time.

17. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year had completed such number of year of service (Whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the services of the released officers of the Emergency Commission and short service commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administrative Department Memo No. 2266/1987/1(3)/67 dated the 21st October 1967.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of posts filled on the basis of merit-cum-seniority:

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

18. **Preparation of list of suitable officers.**—(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with regard to seniority

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list:

Provided that any junior officer, who in the opinion of the Committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation.—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any number of the State Subordinate Civil Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

19. Consultation with the Commission.—The recommendations of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of Clause (3) of Article 320 of the Constitution and a seprate consultation with the Commission shall not be necessary.

20. Select List.—(1) The list as finally approved by the Government shall form the Select List for promotion of the members of the service to post shown in column (3) of Schedule-IV from column (2) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 18, but the validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any persons included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, may if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

21. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointment of the Officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Select List:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

22. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

23. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

24. Relaxation.—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided in these rules.

25.—Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

26. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
YOGENDRA NATH CHATURVEDI, Secy.

SCHEDULE I

(See Rule 4 and 5)

S. No. (1)	Name of Post included in the service (2)	Number of posts. (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1	Commissioner, Higher education	1	Class- I	5900—200—6700
2	Principal, P. G. College and Additional Director Higher Education	68	Class -I	4500—15—5700—200—7300
3	Principals Degree College Joint Director, Higher Education and State Laision Officer (N. S. S.)	347	Class -I	3700—125—4950—150—5700 Rs. 250/-Special Pay.
4	Pofessors and Deputy Director Higher Education	913	Class -I	3700—125—4950—150—5700
5	(A) Asstt. Professor	7426	Class- II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Asstt. Professor (Senior Scale)	..	Class- I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Asstt. Professor (Selection Grade)	8	Class -I	3700—125—4950—150—5700
6	(A) Sports Officer	324	Class-II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Sports Officer (Senior Scale)	..	Class-I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Sports Officer (Selection Grade)	..	Class-I	3700—125—4950—150—5700
7	(A) Librarian	384	Class-II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Librarian (Senior Scale)	..	Class-I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Librarian (Selection Grade)	..	Class-I	3700—125—4950—150—5700

SCHEDULE II
(See Rule 6)

Name of Department	Name of Service	Name of post	Number of Duty post	Percentage of Duty post to be filled in			Remarks
				By direct Recruitment	By promotion of substantive members of service	By transfers of persons of other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Department of Higher Education	M. P. Educational (Gazetted) Service	(i) Commissioner	1	..	..	An Officer of Indian Administrative Services of Supertime Scale on deputation.	
		(ii) Principal P. G College and additional Director, Higher Education.	77	..	100%	..	
		(iii) Principal, Degree, College Joint Director, Higher Education and State Liaison Officer National Service Scheme.	347	..	100%	State Liaison Officer shall be from amongst the degree, Principal Cadre, having seven years experience of National Service Scheme.	
		(iv) (A) Professor and Dy. Director, Higher Education. (B) For uncertain number of posts according to column (7).	915	100%	..	Direct Recruitment shall be made on total number of substantive posts of professors sanctioned by Govt. In addition to this on account of enforcement of new U.G.C. Pay-Scales from 1-1-86 . Promotion to the post of professors shall be made on the basis of service record from amongst the Asstt. Professors of senior/ selection grade pay-scale after completion of prescribed period of service and prescribed qualification under provisions mentioned in in Schedule-IV. These posts shall be filled up through departmental promotion committee. No definite number of these posts of professors shall be and member of these posts will	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(v) Asst. Professor	7426	100%*		vary on the basis of member of assistant Professors having requisite seniority and qualification.	
		(vi) Sports Officer	324	90%*	10%**		
		(vii) Librarian	384	90%*	10%**		*By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well. **Only for assistant librarian of dying cadre, these posts shall not be filled up by promotion in future after promotion of these officers.

Note.—The procedure of appointment in the senior and selection grade pay scale to the posts mentioned in serial No. (V), (VI) and (VII) shall be according to the note given in Schedule IV.

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Name of Post (3)	Minimum age of limit (4)	Upper age of limit (5)	Educational qualification prescribed (6)	Remarks (7)
Department of Higher Education	Madhya Pradesh Educational (Gazetted) Service	(i) Professors and Dy. Director Higher Education	21 years	45 years	(A) Educational qualification prescribed by U. G. C. from time to time; and (B) Ten years teaching experience of graduate/post graduate classes.	
		(ii) Asst. Professor	21 years	30 years	Post Graduate degree in relevant subject or in any other subject mentioned by the State Govt. with the advice of the Commission with atleast 55% marks and at degree level the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	
		(iii) Sports Officer	21 years	30 years	Post graduate degree in physical education with atleast 55% marks and at degree level of physical education the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	
		(iv) Librarian	21 years	30 years	Post graduate degree in Library Science with atleast 55% marks and at degree level the percentage of total marks obtained should not be less than 50. OR Atleast 55% marks in M. A./M. Com/M.Sc. and at graduate degree in Library Science the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	

SCHEDULE - IV
(See Rule - 15)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience required for promotion	Name of members of the Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Higher Education	M. P. Educational Service (Collegiate Branch)			
	(1) Principal Degree College, Joint Director and State Liaison Officer, National Service Scheme.	Principal, Post graduate colleges and Additional Director, Higher Education.	Promotion to the post of Principal, Post graduate college, from amongst those Degree Principals having at least two years experience of the post of Principal, shall be made on the basis of combined seniority list of Principal degree college cadre. The promotion shall be on the basis of merit-cum-seniority. Provided that, the condition of experience shall not apply to persons whose name could not be considered at the time of earlier promotions despite having seniority.	(1) Chairman, Public Service Commission or any member nominated by him— Chairman (2) Principal Secy./ Secretary, Higher Education— Member (3) Commissioner, Higher Education— Member.
	(2) Professor and Deputy Director, Higher Education.	Principal, Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liaison Officer, National Service Scheme.	Promotion to the post of Principal degree college shall be made on the basis of merit-cum-seniority from amongst those professors having atleast two years experience. Separate seniority list shall be prepared for directly recruited professors and promoted professors for the promotion to the post of principal, through the departmental promotion committee. The post of Principal shall be filled up from amongst these lists in such ratio which exists between the directly recruited professor and promoted professors at the commencement of the calender year of meeting of promotion committee. While enquiring about the eligibility for promotion, these shall be no distinction between the time bound professors and other professors. The seniority list of promoted professors shall be made on the basis of the date of their regular appointment to the post of assistant professor. The absorbed professors of the taken over colleges shall be enlisted with directly recruited professors and shall be granted seniority from the date from which their college has been taken over by the government. The seniority of directly recruited professor shall be determined on the basis of seniority mentioned in the selection	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			list issued by the Public Service Commission.	
	(3) Asstt. Professor	Professor/ Dy. Director, Higher Education	Assistant Professors working in the Senior/Selection grade pay scale shall be eligible for promotion to the post of Professors in the Pay-scale of Rs. 3700-5700, if He/She has; (a) Completed 8 years of service in the senior scale, provided that the requirement of 8 years will be relaxed if the total service of the Asstt. Professor is not less than 16 years for Ph.D and M. Phil. holders 13 and 15 years respectively. (b) obtained in Ph.D degree or an equivalent published work; (c) made some mark in the areas of scholarship and research as evidence by self-assessment, reports of referees quality of publications, contribution to educational renovation, design of new courses and curracular, etc; (d) participated in two refresher courses/summer institutes each of approximately 4 weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified by the UGC, after placement in the Senior Scale; and; (e) Consistently good performance appraisal reports.	
	(4) Asstt. Librarian	Librarian	Those assistant librarians who have acquired the qualification prescribed for librarian, shall be promoted on the basis of service record, to the post of librarian.	
	(5) Asstt. Sports Officer	Sports Officer	Those Assistant Sports Officers who have acquired the qualifications prescribed for Sports Officer shall be promoted on the basis of service record to the post of Sports Officer.	

Note.—The post of Asstt. Librarian and Assistant Sports Officers, are of dying cadre. Therefore the persons working at present on these posts shall be given promotion to the post of Librarian and Sports Officer shall be made in future.

Note.—(1) The following qualifications will be essential for Asstt. Professor, Sports Officers and Librarian for their placement in senior pay -scale and selection grade pay -scale:—

(A) **for Senior Pay- Scale:**—Asstt. Professor/Librarian/Sports Officer will be placed in senior pay- scale of Rs. 3000-5000 if he/she has (i) completed 8 years of service after regular appointment, or completed 5 years or 7 years of service in case of Ph. D or M. Phil degree holders, respectively, (ii) participated in two refresher courses/summer institutes, each of approximately 4 weeks duration or remained associated with appropriate continuing education programmes, or comparable quality as may be specified by UGC; and (iii) consistently satisfactory performance appraisal report.

(B) **for Selection Grade Pay -scale:**—Every Assistant Professor/Sports Officer/Librarian working in senior pay- scale shall be eligible for placement in the Selection Grade Pay -scale 3700-5700, provided he/she (i) has completed 8 years of service in the senior scale. The condition of 8 years shall be relaxed in case of officers who have completed atleast 16 years and for Ph.D and M. Phil holders 13 and 15 years respectively of service on the post of Asstt. Professor/Sports Officer/Librarian, (ii) after posting in the senior scale has participated in two refreshers courses/summer institutes each of approximately 4 weeks duration, has remained associated with appropriate continuing education programmer equivalent to standards approved by UGC; and (iii) has consistently good performance appraisal reports.

(2) The Screening Committe for determining the fitness for placement in senior scale and selection grade pay- scale and shall consist of the following members:—

(A) Commissioner, Higher Education or any additional director nominated by him.	Convener
(B) Deputy Secretary, Govt. of M. P., Higher Education Department	Member
(C) Principal Govt. Post Graduate College (Nominated by Commissioner Higher Edn.)	Member
(D) An educationist related to Higher Education.	Member

The screening committee shall perform the function of screening mentioned above for determining fitness for placement under instructions issued by the Government from time to time.

(3) The post of Assistant Professors and formerly recruited Lecturers are one and the same.

SCHEDULE - V

(See Rule 14 b)

Proforma of Application

Asstt. Professor/Sports Officer/Librarian

1. Name and Address ---------------------------------

Photo
Passport size
(attested)

Subject.--

2. Name of State where born--

3. Date of birth (In figure) --

(In words)--

4. Age as on 1st day of January---------------(In the year of advertisement for the post)

5. Educational Qualifications.

Board/University	Year Division Subject marks/full marks
a. Higher Secondary	
b Graduation	
c. Post Graduation	

Attested copy of marks sheet required for every stage.

6. If M. Phil./Ph.D. degree awarded name of subject should be quoted and must subject proof of it. ------------------------------------

7. If candidate belongs to SC/ST The name of caste/tribe should be given with certificate from competent authority. ------------------------------------

----

----

8. If candidate is already Employed indicate the name of post Name of the institution name of the department. ------------------------------------

----

9. Any other information that candidate wants to submit. ------------------------------------

Date:-----------

Place:----------

Signature of Candidate.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
YOGENDRA NATH CHATURVEDI, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1990

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2005—भाद्र 24, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-103/2004/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (5) में "30 वर्ष" के स्थान पर "32 वर्ष" स्थापित की जाए.

(2) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ अथवा ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड-बी, सात बिन्दुओं सहित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि.

नोट :—यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जावेगा, जो निम्नानुसार है :—

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

(ख) उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा सहायक प्राध्यापकों के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा (NET) जिसे यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. या छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित SLET परीक्षा उत्तीर्ण किया हो."

(3) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (7) में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"(क) सहायक प्राध्यापक पद हेतु पी-एच.डी. अभ्यर्थियों को भी नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी. तथापि वे अभ्यर्थी जो 31 दिसम्बर, 1993 तक एम. फिल. उपाधि प्राप्त कर लिये हों अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2002 को अथवा इसके पूर्व संबंधित विषय में विश्वविद्यालय को पी-एच.डी. शोध-ग्रन्थ जमा किये हों, को नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट रहेगी, किन्तु जो पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी.

(ख) वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश स्लेट 1-1-2000 के पूर्व उत्तीर्ण किये हों वे परीक्षा हेतु पात्र होंगे."

Raipur, the 15th September 2005

NOTIFICATION

No. F 1-103/2004/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For entries "30 year" in column (5) in serial No. (ii) of Schedule III the entries "32 years" shall be substituted.

(2) For entries in column (6) in serial No. (ii) of Schedule III the following entries shall be substituted :—

"(a) Good academic record with atleast 55% marks or grade of "B" in the 7 point grading system obtained at the Master's degree level in the relavent subject or an equivalent degree from an Indian University or a Foreign University.

Note :—As per conversion table of the U.G.C., the percentage of marks shall be converted as follows :—

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

(b) Besides fulfilling the above qualification candidate should have cleared the eligibility test (NET) for Asstt. Professor conducted by the U.G.C./CSIR or SLET conducted by Chhattisgarh State."

(3) In column (7) in serial No. (ii) of Schedule III, the following shall be added :—

"(a) NET/SLET shall remain the compulsory requirement for appointment as Asstt. Professor even for candidate having Ph. D. Degree. However, the candidate who have completed M. Phil Degree by the 31st December, 1993 or have submitted Ph. D. thesis to the University on or before 31st Dec. 2002 are exempted from appearing in the NET/SLET examination. In case such candidates fail to obtain Ph. D. Degree, they shall have to pass the NET/SLET Examination.

(b) Those candidates who have cleared M.P. SLET examination before 1-11-2000 shall be eligible for the examination."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2007—श्रावण 12, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-49/2007/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद में 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (दो) के सामने, कालम नं. (6) (ख) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) राज्य सरकार द्वारा यू. जी. सी. अथवा सी. एस. आई. आर. अथवा सेट द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण.

परंतु संबंधित विषय में पी. एच. डी. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या स्नातक अध्यापन हेतु परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दिया जाएगा.

परंतु यह और भी कि संबंधित विषय में एम. फिल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर के अध्यापन हेतु ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दिया जाएगा."

2. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (दो) के सामने, कॉलम नं. (7) की प्रविष्टि का लोप किया जाये.

3. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (तीन) के सामने, कालम नं. (6) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) भौतिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा खेल में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ समतुल्य डिग्री अथवा यू. जी. सी. 7 पाइंट स्केल में बी. के समतुल्य श्रेणी तथा बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो.

(2) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य के प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो.

(3) शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो.

(4) यू. जी. सी. अथवा यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय परीक्षा में अर्ह हो."

4. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (चार) के सामने, कॉलम नं. (6) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) यू. जी. सी. द्वारा अथवा यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्ह हो.

(2) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ समतुल्य व्यावसायिक डिग्री अथवा यू. जी. सी. 7 पाइंट स्केल में बी. के समतुल्य श्रेणी तथा लायब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो."

Raipur, the 3rd August 2007

NOTIFICATION

No. F 1-49/2007/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For the entries of column No. (6) (b) against the entry (ii) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—

"(b) Clearance of eligibility test (NET) conducted by the UGC or CSIR or SET by the State Government.

Provided that candidates having Ph. D degree in the concerned subject will be exempted from the clearance of such test for teaching of Post Graduate and Under Graduate.

Provided further that candidates having M. Phil degree in the concerned subject will be exempted from clearance of such test for teaching of Under Graduate Level."

2. The entries of column No. (7) against entry (ii) of column No. (3) of Schedule III shall be omitted.

(41)

3. For the entries of column No. (6) against entry (iii) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Master's degree in Physical Education (Two years Course) or Master's degree in sports or an equivalent degree with atleast 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale and consistently good academic record.

(2) Record of representation of University/College at interuniversity/intercollegiate competitions or the State in National Championship.

(3) Passed the physical fitness test.

(4) Qualifying in the National Test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC."

4. For the entries of column No. (6) against entry (iv) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Qualifying in the National level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.

(2) Master's degree in Library Science / Information Science / Documentation or an equivalent professional degree with atleast 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale and consistently good academic record, computerization of library."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिन्ज, संयुक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010—ज्येष्ठ 7, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 1973 एफ 1-57/2009/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त, इस नियम में सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट समस्त पदों के लिए, अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ".

परन्तु प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमायें लागू होगी.

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, आयु सीमा में छूट के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अलावा कोई और प्रावधान भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित संशोधित तथा लागू होंगे.

"परन्तु यह और भी कि सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर, दिनांक 16-09-2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे".

2. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु उपरोक्त प्रावधान, प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होगा".

3. अनुसूची-तीन में कॉलम (5) के शीर्षक "उच्चतर आयु सीमा" के अन्तर्गत, प्राध्यापक/उप संचालक, उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"1.	पुरुष अनारक्षित	-	45 वर्ष
2.	पुरुष (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	50 वर्ष
3.	महिला अनारक्षित	-	55 वर्ष
4.	महिला (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	60 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग)	-	60 वर्ष

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी".

Raipur the 28th May, 2010

NOTIFICATION

No. 1973/F.1-57/2009/38-1 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (1) of Rule 8, the following clause shall be substituted, namely :-

" In addition to the direct recruitment to the post of professor, for all posts specified for direct recruitment in this Rule, the candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, following the issuance of Advertisement by the Commission :

Provided that for the direct recruitment to the post of professor, the age limit specified in column (5) of Schedule-III shall be applicable.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor the provision for relaxation in age limit specified else where shall stand amended and applicable, mutatis mutandis.

Provided further that General Administration Department circular No. F. 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16-09-2008 restricting the "upper age limit to 45" after including all types of relaxations, shall not be applicable for direct recruitment to the post of Professors."

2. After clause (c) of sub-rule (1) of Rule 8, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the above provision shall not be applicable for direct recruitment to the post of professors."

3. In Schedule-III, for column (5) under heading "upper age of limit" for Professors/Deputy Director, Higher Education, the following entries shall be substituted, namely :-

"1.	Male Unreserved	-	45 Years.
2.	Male (Reserved Category- Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Other Backward Classes)		50 Years.
3.	Female Unreserved	-	55 Years
4.	Female (Reserved Category-Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes)	-	60 Years
5.	Widow, destitute, divorcee (Reserved/Unreserved Category).	-	60 Years.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor, after availing of various age relaxations specified in the rule, the upper age limit shall not exceed 60 years."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.